Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 2 | November 2024 - April 2025 | pp. 94-98

वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'समान नागरिक संहिता' : एक विश्लेषण

डॉ. कन्हैया लाल मीना

प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विराटनगर, कोटपूतली, बहरोड़ (राजस्थान)

शोध सारांश

भारतीय राजनीति में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है। वर्तमान में इन मामलों में विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग-अलग कानून लागू होते हैं, जबकि आपराधिक मामलों में दंड संहिता समान रूप से लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। यह एक उच्च आदर्श है, जिसे तुरंत लागू करना संभव नहीं था, इसलिए इसके लिए समाज को तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। अब यह निर्णय संसद को करना है कि समाज इस हेतु तैयार है या नहीं। हाल ही में विधि आयोग को सौंपे गए समान नागरिक संहिता के मसौदे में कहा गया है कि वर्तमान पर्सनल लॉ न्यायसंगत और लैंगिक रूप से निष्पक्ष नहीं हैं। इसमें महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा गया है। इसलिए, वैश्विक मानकों पर आधारित, भेदभाव रहित और समान कानून की आवश्यकता बताई जा रही है। जहां एक ओर यूसीसी को 'एक देश, एक कानून' की दिशा में आवश्यक कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर खतरा बताकर विरोध भी हो रहा है। इस विषय पर तर्क और प्रतितर्कों के साथ शोध की व्यापक आवश्यकता बनी हुई है। क्या है यूसीसी? इसके पक्ष व विपक्ष मुद्दों को लेकर शोध पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है।

संकेताक्षर—*नागरिक संहिता, लैंगिंक विभेद, पर्सनल लॉ*

प्रस्तावना

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और लोकतन्त्र का यह तकाजा है कि देश के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र में समानता के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए ऐसे कानून आवश्यकता होती है जो सभी पर समान रूप से लागू हो और यह आवश्यकता ही समान नागरिक संहिता के विचार को जन्म देती है। "भारतीय संविधान सभा की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर का कथन है कि धर्म आधारित निजी कानून जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर देश में फूट डाल रहे हैं, और इस प्रकार भारत को एक राष्ट्र बनने से रोक रहे हैं।"[1]

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड का आशय है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा यूनिफार्म सिविल कोड का मतलब एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जायेगा। जिससे तीन तलाक एवं तीन बार विवाह करने वाली परम्परा

स्वतः खत्म हो जायेगी। वर्तमान में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते है। फिलहाल में मुस्लिम, ईसाई और फारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिन्दू सिविल लॉ के तहत हिन्दू, सिक्ख, जैन व बौद्ध धर्म आते हैं।[2]

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता

एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है वहीं दूसरी और पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान जैसे कई देश कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। भारत में मुसलमानों को चार विवाह करने की छूट है जबकि मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मुसलमानों में स्त्रियों के साथ समानता का अधिकार नहीं किया जाता है जबकि विश्व के कई मुस्लिम देशों में चार विवाह के नियम को बदलकर केवल एक विवाह करने को कानूनी मान्यता दी है। इन देशों में ईरान, मिश्र, मोरक्को, सीरिया, तुर्की, टयूनीशिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित है।

फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है जो वहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन की तर्ज पर अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन ला सिस्टम लागू है। आस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ की तर्ज पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। जर्मनी और उजबेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है।

भारत में समान नागरिक संहिता : अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान

भारत के सन्दर्भ में समान नागरिक संहिता कानून का अर्थ है विवाह तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना एक ही कानून की व्यवस्था होना है।[4] भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि “राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।”[5] समान नागरिक समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग चार अर्थात् नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत किया गया जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

भारत में उत्तराखण्ड राज्य 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे उत्तराखंड में अब किसी भी धर्म का व्यक्ति पहली पत्नी या पति से तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर सकेगा। बेटा-बेटी को संपत्ति में से बराबर का हक मिलेगा। मुस्लिमों में हलाला प्रथा भी बन्द होगी। हालांकि राज्य की करीब 2.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी पर यूसीसी लागू नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 342 के तहत इनके अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है।[6] शेष भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है।

समान नागरिक संहिता राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए और इसमें सभी प्रतिगामी कानूनों का उन्मूलन शामिल होना चाहिए। कुछ राज्यों समान नागरिक संहिता बनाने की कथित पहल चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि, एक राज्य-स्तरीय यूसीसी, संविधान के अनुच्छेद 44 के साथ प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होता है, जो यह घोषणा करता है कि “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।”[7] इसमें निहित प्रस्तावित संहिता का अखिल भारतीय चरित्र और विस्तार इतना विशिष्ट है कि इसे नजर अंदाज किया जा सकता है। संविधान के तहत, परिवार और उत्तराधिकार कानून केन्द्र और राज्यों के समवर्ती क्षेत्राधिकार में है, लेकिन पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाला कानून अकेले संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित कई मामलों में इस संबंध में लगातार निष्क्रियता पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है, लेकिन इसकी चिंता का विषय हमेशा केंद्र में रहा है।

भारत में अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर तय किये गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के व्यक्तिगत कानून हिंदू विधि से संचालित किये जाते हैं, वहीं मुस्लिम तथा ईसाई धर्मो के अपने अलग व्यक्तिगत कानून है। मुस्लिमों का कानून शरीअत पर आधारित है। जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित है। अब गोवा और उत्तराखंड ऐसे राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है।

संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में, संसद ने 1954 में एक विशेष विवाह अधिनियम, अधिनियमित किया। किसी समुदाय-विशिष्ट कानून की जगह नहीं लेते हुए, इसे सभी

नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कोई भी पुरुष और महिला, चाहे वे समान या भिन्न धर्मों को मानते हों, कानूनी विवाह का विकल्प चुन सकते हैं।[8] मौजूदा धार्मिक विवाह को भी अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा स्वेच्छा से कानूनी विवाह में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि इसके प्रावधानों के तहत विवाह सभी जोड़े और उनके वंशज, उनकी संपत्तियों के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में विरासत पर धर्म-तटस्थ अध्याय द्वारा शासित होंगे। विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय इस प्रकार, उत्तराधिकार अधिनियम एक साथ सभी भारतीयों के लिए एक वैकल्पिक प्रकृति के यूसीसी का गठन करने के लिए थे।

विशेष विवाह अधिनियम कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। विवाह में निषिद्ध डिग्री की इसकी सूची (रिश्तेदार कोई शादी नहीं कर सकता) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उसी की एक प्रति है, लेकिन उस अधिनियम के विपरीत, यह सपिंडा रिलेशन (दूर के चचेरे भाई को शामिल करते हुए) की सीमा के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले नियम को मान्यता नहीं देता है। इसलिए एक हिंदू स्वतंत्र रूप से अधिनियम के तहत दूसरे चचेरे भाई से शादी कर सकता है, हालांकि उसका धर्म इसे प्रतिबंधित करता है, लेकिन एक मुसलमान इसके तहत पहले चचेरे भाई से शादी नहीं कर सकता है, जिसे उसका धर्म अनुमति देता है। हालात को बदतर बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, निषिद्ध डिग्री के नियम में प्रथा के आधार पर छूट दी जा सकती है, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं।

पूरे देश को पारिवारिक अधिकारों और उत्तराधिकार के एक ही कानून के तहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है। यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के लिए संवैधानिक गारंटी के अनुपालना में किया जाना चाहिए। विवाह में निषिद्ध डिग्रियों से संबंधित विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान को उपर्युक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने वाले इसके 1976 के संशोधन को अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार संशोधित अधिनियम को देश के हर हिस्से में लागू किया जाना चाहिए। जिस दिन यह किया जाए, “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता”[9] का संवैधानिक वादा विधिवत पूरा हो जाएगा।

समान नागरिकता संहिता लागू होने से लाभ

- समान नागरिक संहिता एक देश एक विधान के विचार को प्रोत्साहित करती है। यूसीसी से सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और एक-दूसरे के प्रति लगाव की भावना पैदा होती है जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।[10]
- समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं महिलाओं का अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।[11]
- इससे लागू होने पर विभिन्न सम्प्रदायों के अलग-अलग वैयक्तिक कानून के कारण जन्म लेनी वाली साम्प्रदायिकता का अंत होता है।
- अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में बाधाएँ

- भारत की व्यापक विविधता के कारण यूसीसी का क्रियान्वयन एक दुष्कर कार्य है।
- समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का कहना है कि विभिन्न समुदायों के लोग व्यक्तिगत कानून से अलग धर्मनिरपेक्ष कानून को अपनाने के इच्छुक नहीं है एक समूह की परंपराओं को दूसरे समूह पर थोपना उचित नहीं है।[12]
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरूद्ध है।

समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण

वर्तमान में केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की समान नागरिक संहिता के बारे में स्पष्ट राय है कि देश में एक समान नागरिक संहिता के बारे में स्पष्ट राय है कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। 1989 से भाजपा के घोषणा पत्र में यह वादा किया जाता रहा है कि वह देश में यूसीसी लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है। वह देखो और इंतजार करो की नीति को अपना रही है। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल टीएमसी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जनता दल (यूनाइटेड) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुलकर इनके विरोध में है।[13]

समान नागरिक संहिता लागू करने में कोई तकनीकी मुश्किल नहीं है, बल्कि राजनीतिक मुश्किल है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है। संविधान राज्य को निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। समान नागरिक संहिता कानून क्यों नहीं लाया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल किया है। यह नहीं लाया गया इसका कारण वोट बैंक की राजनीति है कि जिन समुदायों के पर्सनल कानून है वे कहीं नाराज न हो जाए।

निष्कर्ष

आजादी के बाद भारत में सामाजिक और कानूनी परिवर्तन समय-समय पर होते रहे हैं। बदलती परिस्थितियों, सामाजिक जागरूकता और नागरिकों की अपेक्षाओं को देखते हुए अब समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड—यूसीसी) को लागू करने का उचित समय आ चुका है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की बात करती है।

राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भी धर्म के भीतर व्याप्त कुरीतियों को चुनौती दी थी। उसी प्रकार, वर्तमान समय में धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाकर एक समतामूलक समाज की स्थापना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता न केवल लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगी, बल्कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति पर भी प्रभावी अंकुश लगाएगी।

अनुच्छेद 44 के तहत यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में प्रयास करे। यह प्रक्रिया समय की मांग है, क्योंकि आज धर्म और जाति की सीमाएँ धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। न्यायपालिका भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे चुकी है, परंतु अंतिम निर्णय संसद की सामूहिक समझ और समाज की सहमति पर आधारित होना चाहिए।

यूसीसी का उद्देश्य केवल लैंगिक न्याय नहीं, बल्कि एक समावेशी, आधुनिक और संविधान सम्मत राष्ट्र निर्माण करना है। यह आवश्यक है कि इसे जबरन नहीं, बल्कि संवाद, सहमति और उदार सोच के आधार पर लागू किया जाए। सभी वर्गों के धार्मिक और सामाजिक नेताओं को विश्वास में लेकर राष्ट्रहित में इस कानून को जल्द लागू करना चाहिए, ताकि भारत एक सशक्त, समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ सके।

समाज की प्रगति और सौहार्द्रता हेतु उस समाज में विद्यमान सभी पक्षों के बीच समानता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये अपेक्षा की जाती है कि बदलती परिस्थितियों के मध्यनजर समाज की संरचना में परिवर्तन होना चाहिये।

समाज की प्रगति और सौहार्द हेतु उस समाज में विद्यमान सभी पक्षों के बीच समानता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये अपेक्षा की जाती है कि बदलती परिस्थितियों के मद्देनज़र समाज की संरचना में परिवर्तन होना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. एचटीटीपीः//हिंदीमैप्सऑफइंडिया डॉट कॉम
2. वेबदुनिया वेबसाइट
4. भारत का संविधान, कानून प्रकाशन, जोधपुर संस्करण, 2021, पृ.सं.26.
5. जोशी, आर.पी., भारतीय सरकार एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2007, पृ.सं. 97.
6. दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण, 28 जनवरी 2025, पृ.सं. 1.
7. महमूद, ताहिर, इंडियन एक्सप्रेस में आलेख, समान नागरिक संहिता कैसे बनाएं, दिल्ली संस्करण, 14 मई 2022.
8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित, 9 अक्टूबर, 1954.

9. मिश्रा, गौरवी, कंटेशन बीटवीन यूनिफार्म सिविल कोड एण्ड द प्रिंसीपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ एशियन लॉ रिव्यू जर्नल 2021, वाल्यूम 7 एचटीटीपीएसः//दिलॉब्रिगेड डॉट कॉम/डब्ल्यूपीकॉन्ट_एनडी?यूपीएलओएसीके/2021/06/गौरवी_मिश्रा/एसएएलआरजे डॉट पीडीएफ

10. इंडिया टुडे साप्ताहिक, 16 अगस्त 2023.

11. शर्मा, प्रज्ञा, महिलाएँ लैंगिक असमानता एवं अपराध आईएसबीएन 81-7910-015-0 प्रथम संस्करण, 2004, पृ.सं. 78-88.

12. चतुर्वेदी, डॉ. अनुपम, भारत में समान नागरिक संहिताः एक विश्लेषण आईएसएसएन 2664-60एक्सपी-आईएसएसएन, 2664-6021 इन्टरनेशनल जर्नल, ऑफ पोलिटिकल साइंस एण्ड गर्वनेंस 2024, 64(1) 03-04.

13. एचटीटीपीएसः//नवभारतटाइम्स डॉट इंडियाटाइम्स डॉट कॉम, समान नागरिक संहिता की सियासत और हकीकत को ऐसे समझिये (पहुँचा गया 9.9.23)